

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक- पी0पी0एम0-47/2017
प्रेषक,

529

/कृ0, पटना दिनांक 30-01-2018

सेवा में,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

// अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत "टारगेटिंग राईस फ़ैलो एरिया" (टी0आर0एफ0ए0) इन इस्टर्न इंडिया फॉर पल्सेज" योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में 1223.12 लाख (बारह करोड़ तेईस लाख बारह हजार) रूपये एवं राज्यांश/राज्य योजना अतिरिक्त अनुदान मद में 859.014 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख एक हजार चार सौ) रूपये कुल 2082.134 लाख (बीस करोड़ बेरासी लाख तेरह हजार चार सौ) रूपये की लागत से योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत "टारगेटिंग राईस फ़ैलो एरिया" (टी0आर0एफ0ए0) इन इस्टर्न इंडिया फॉर पल्सेज" योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में 1223.12 लाख (बारह करोड़ तेईस लाख बारह हजार) रूपये एवं राज्यांश/राज्य योजना अतिरिक्त अनुदान मद में 859.014 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख एक हजार चार सौ) रूपये कुल 2082.134 लाख (बीस करोड़ बेरासी लाख तेरह हजार चार सौ) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजनांतर्गत केन्द्रांश (60 प्रतिशत) की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त होगी जबकि राज्यांश (40 प्रतिशत) की राशि राज्य सरकार द्वारा विमुक्त की जायेगी। अतिरिक्त सहायता (टॉप अप) के रूप में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (राज्यांश) के मद से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत प्रस्तावित योजना के लिये केन्द्रांश मद में 1223.12 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 815.414 लाख रूपये कुल 2038.534 लाख रूपये की कार्य योजना की स्वीकृति दी गयी है।

4. भारत सरकार का पत्र संख्या-CPS 2-33/2017-NFSM दिनांक 01.11.2017 द्वारा कोटिवार सामान्य के लिए 1020.08 लाख रूपया अनुसूचित जाति के लिए 192.03 लाख रूपया एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 11.01 लाख रूपया यथा कुल 1223.12 लाख रूपया विमुक्त की गई है। भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपतिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

5. योजना अंतर्गत दलहन फसल के बीज प्रतिस्थापन दर, क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित बीज अनुदान दर के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	फसल	अनुमानित मूल्य प्रति किवं0 (रूपये में)	भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान दर (रूपये/किवं0)			राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में स्वीकृत अनुदान दर (रु0/किवं0)	स्वीकृत कुल अनुदान दर
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1	मटर	8000.00-14000.00	1500.00	1000.00	2500.00	4500.00	7000.00 रूपये प्रति किवं0 अथवा वास्तविक मूल्य का 50% जो कम हो।

6. योजना कार्यान्वयन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण :

- भारत सरकार द्वारा चयनित चार जिला यथा-कटिहार, बांका, गया एवं औरंगाबाद में योजना कार्यान्वित किया जायेगा।
- कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 पर तथा जिलावार एवं कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-2 पर अनुलग्न है। योजना का कार्यान्वयन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत केन्द्रांश मद में तथा इसके समानुपातिक (40%) राज्यांश मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश (60%) एवं राज्यांश (40%) मद में व्यय की स्वीकृति राशि की कोटिवार विवरणी अनुसूची- 3 पर अनुलग्न है। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के अंतर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना अंतर्गत बीज अनुदान एवं कृषि यांत्रिकरण मद में अतिरिक्त सहायता (टॉप अप) के रूप में शत-प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राज्यांश मद से स्वीकृति राशि की कोटिवार विवरणी अनुसूची-4 पर अनुलग्न है। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के अंतर्गत आवंटित राशि से संबंधित मद में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. योजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे, जो योजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित मद में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के लिये पूर्णतः जबाबदेह होंगे। इनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय कृषि निदेशक-सह-मिशन निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कृषि निदेशक-सह-मिशन निदेशक, रा0खा0सु0मि0, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का केन्द्रांश मद में 60% तथा राज्यांश मद में 40% के अनुसार निकासी एवं व्यय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत बीज अनुदान एवं कृषि यांत्रिकरण मद में अतिरिक्त सहायता (टॉप अप) के रूप में स्वीकृत राशि अंतर्गत निकासी एवं व्यय शत-प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राज्यांश मद से सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना अंतर्गत गरमा मौसम में कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित राशि की अग्रिम निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
- योजना अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों से संबंधित लाभान्वित कृषकों को देय अनुदान राशि का भुगतान डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) योजना अंतर्गत आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।
- योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं आवंटित राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना अंतर्गत कार्यघटकों का कार्यान्वयन:-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत प्रस्तावित योजना से संबंधित कार्यघटकों का कार्यान्वयन अनुसूची-5 में अनुलग्न दिशा-निर्देशों के आलोक में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. बीज अनुदान दर में उपर्युक्त वृद्धि के फलस्वरूप बीज अनुदान मद में अतिरिक्त सहायता राशि की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता (टॉप अप) के रूप में बीज अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	कार्यक्रम	फसल	भौतिक लक्ष्य (वर्ग० में)	राज्यांश मद (रा०खा०सु०मि०) अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान दर (लाख रु०/वर्ग०)	राज्यांश मद (रा०खा०सु०मि०) से अतिरिक्त अनुदान सहायता (लाख रुपये में)
1	दलहन	मटर	750.00	0.045	33.75

10. राज्य योजना अंतर्गत कार्यान्वित कृषि यांत्रिकरण योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये यंत्रवार सामान्य वर्ग के कृषकों से भिन्न एवं अधिक अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सभी वर्ग के कृषकों के लिये समान अनुदान राशि का प्रावधान है। अतः योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये राज्य योजना के अनुरूप अनुदान राशि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राज्यांश मद से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। उक्त मद में व्यय की स्वीकृति राशि निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	कार्यक्रम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि	अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति वर्ग हेतु अनुदान राशि में वृद्धि के फलस्वरूप कुल राशि की आवश्यकता	राज्यांश मद (रा०खा०सु०मि०) अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (लाख रुपये में)
1	दलहन	115.70	125.55	9.85

11. योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	कार्यक्रम	व्यय की स्वीकृति हेतु स्वीकृत राशि			रा०खा०सु०मि० (राज्यांश) मद अंतर्गत अतिरिक्त सहायता राशि (लाख रुपये में)	
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	बीज अनुदान	कृषि यांत्रिकरण
1	दलहन	1223.12	815.414	2038.534	33.75	9.85

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रांश)		
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-102-खाद्यान्नों की फसलें, माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0201-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड 01-2401001020201, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140, विषय शीर्ष-0201.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	7405.92	1015.190
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0237- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890237, पी०एफ०एम०एस०कोड-9140, विषयशीर्ष-0237.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1427.65	195.699
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0259-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007960259, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140, विषय शीर्ष-0259.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	89.23	12.231
योग	8922.80	1223.120
(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (राज्यांश)		
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-102-खाद्यान्नों की फसलें-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0301-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401001020301-पी०एफ०एम०एस० कोड-9140, विषय शीर्ष-0301.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	8300.00	676.794
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890323, पी०एफ०एम०एस० कोड -9140, विषयशीर्ष-0323.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1600.00	130.466
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-01, उपशीर्ष-0359-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007960359, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140, विषय शीर्ष-0359.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100.00	8.154
योग	10000.00	815.414
योग (केन्द्रांश + राज्यांश)	18922.80	2038.534

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	कृषि यांत्रिकरण मद में स्वीकृत अतिरिक्त सहायता राशि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (राज्यांश)		
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-खाद्यान्नों की फसलें-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0301-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड 01-2401001020301 पी0एफ0एम0एस0 कोड -9140, विषय शीर्ष-0301.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	8300.00	0.00
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0323-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890323, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9140, विषयशीर्ष-0323.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1600.00	9.250
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0359-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्रकोड-01-2401007960359 पी0एफ0एम0एस0 कोड -9140, विषय शीर्ष-0359.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100.00	0.600
योग	10000.00	9.850

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	बीज अनुदान मद में स्वीकृत अतिरिक्त सहायता राशि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (राज्यांश)		
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष- 102-खाद्यान्नों की फसलें-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0301- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401001020301 पी0एफ0एम0एस0 कोड -9140, विषय शीर्ष-0301.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	8300.00	28.013
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0323-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890323, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9140, विषय शीर्ष-0323.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1600.00	5.400
मुख्यशीर्ष-2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-01 उपशीर्ष-0359-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड- 01-2401007960359- पी0एफ0एम0एस0 कोड -9140, विषय शीर्ष-0359.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100.00	0.337
योग	10000.00	33.750

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 21.11.2017 को प्राप्त है। माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन पृ0सं0-6/टि. पर दिनांक- 28.11.2017 को एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन पृ0सं0- 14/टि. पर दिनांक- 11.01.2018 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-पी0पी0एम0-47/2017 के पृ0सं0-19/टि. पर दिनांक- 29.01.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुधीर कुमार)
28.1.2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

